

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978 ,

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने अप्रैल 16, 1978 को सहमति प्रदान की एवं उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक अप्रैल 18, 1978 को प्रकाशित हुआ।,

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

2-इस अधिनियम में, —

परिभाषायें

(1) "विनियुक्त भत्ता" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी मजदूर को एक दिन के लिए देय मजदूरी के तैंतीस प्रतिशत के बराबर हो ;

(2) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य सूत, जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेजा, कृत्रिम धागा के कारखानों से संबंधित किसी अधिष्ठान से है और इसमें ऐसे अन्य अधिष्ठान भी सम्मिलित है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय ;

(3) "आरक्षित-समूह मजदूर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिए नियोजित किया गया हो ;

(4) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहें वह वेतन, भत्त या अन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हो ;

(5) शब्द "मालिक" और "मजदूर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में उनके लिये दिये गये हैं ;

(6) शब्द "कारखाना" का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 में उसके लिए दिया गया है ।

3-प्रत्येक मालिक आरक्षित-समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा और उसमें समस्त आरक्षित-समूह मजदूरों के नाम श्रेणीवार और ऐसे ज्येष्ठता-क्रम में जिसकी गणना इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान अधिकतम कार्य-दिवस के आधार पर की जायगी, दर्ज करेगा ।

मालिक समूह
मजदूरों का
रजिस्टर रखेगा

4-आरक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान के सूचना-पट्ट पर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर चिपकायी जायगी ।

समूह मजदूरों की सूची प्रदर्शित की जायगी

5-जब कोई आरक्षित-समूह मजदूर का के लिए उपस्थित होता है और मालिक उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए विनियुक्ति भत्ता देगा ;

कार्य को व्यवस्था न होने पर विनियुक्ति भत्ता का भुगतान

परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कलेंडर मास की किसी अवधि में नब्बे दिन से अधिक के लिए देय नहीं होगा ।

6-प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध में, जिसमें रिक्ति हो, आरक्षित-समूह मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त करते समय उसी क्रम का अनुसरण करेगा जिस कम में ऐसे मजदूरों के नाम धारा 3 के अधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों ।

अपराध-समूह मजदूरों की स्थायी नियुक्ति

7-कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा ।

शास्ति

8-(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा ।

अपराध का संज्ञान

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

9-(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा ;

कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी और से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

10—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे । अन्य विधियों के विषय में अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

अनेक सूती, जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेशा और धागा के कारखानों और सम्बन्धित औद्योगिक अधिष्ठानों में आरक्षित समूह के ऐसे प्रतिस्थानी मजदूरों के साथ जिन्हें कई दिनों तक काम नहीं मिल पाता है, उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप श्रमिक-अशान्ति और परिहार्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। अतएव, यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि आरक्षित समूह का कोई मजदूर कार्य के लिये उपस्थित होता है और मालिक उसे काम में लगाने में विफल रहता है तो मालिक उसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिए "विनियुक्ति भत्ता" के रूप में एक विनिर्दिष्ट धनराशि देगा। यह भी उचित समझा गया है कि प्रस्तावित विधायन के उपबन्धों के उल्लंघन को तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय शास्तिक अपराध बनाया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 पुरःस्थापित किया जाता है।